न्यायालय सिविल जज (सी.डि.), देहरादून।
उपस्थितः रिंकी साहनी, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।
प्रकीर्ण वाद संख्या–647 वर्ष 2022

श्री ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ श्री ओ0पी0 गुप्ता पुत्र स्व0 श्री छगन लाल गुप्ता निवासी–19/1, राज विहार, आशीर्वाद एन्कलेव, देहरादून।	**प्रार्थी**
बनाम	
1– श्री मनोज कुमार गुप्ता। **2–** श्री पंकज कुमार गुप्ता। 3– श्री अशोक कुमार गुप्ता। पुत्रगण–श्री ओम प्रकाश गुप्ता। 4– श्रीमती अल्का गुप्ता पत्नी श्री राकेश गुप्ता निवासी–शंकर ट्रेडर्स, ए–2, गल्ला मण्डी, बरेली रोड, हल्द्वानी। (पुत्री)	**विपक्षीगण।**
अधिवक्ता प्रार्थी	श्री राजेश गर्ग
अधिवक्ता विपक्षीगण	श्री रजत अग्रवाल।
वाद प्रस्तुत करने की दिनांक	03.11.2022
बहस सुनने की दिनॉक	08.12.2023
निर्णय की दिनांक	18.12.2023

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 3बी अन्तर्गत धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 मृतका श्रीमती राज रानी गुप्ता उर्फ राज रानी पत्नी श्री ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ श्री ओ0पी0 गुप्ता निवासी–19/1, राज विहार, आशीर्वाद एन्कलेव, देहरादून द्वारा छोड़ी गई एफ0डी0आर0 व बैंक एकाउन्ट में जमा धनराशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी के अनुसार, प्रार्थी की पत्नी श्रीमती राज रानी गुप्ता उर्फ श्रीमती राज रानी का दिनांक 17.02.2022 को, देहरादून में निधन हो गया था। प्रार्थी की

पत्नी श्रीमती राज रानी गुप्ता ने अपनी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी एवं तीन पुत्र क्रमशः श्री मनोज कुमार गुप्ता, श्री पकंज कुमार गुप्ता व श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं विवाहिता पुत्री श्रीमती अल्का गुप्ता को अपना विधिक उत्तराधिकारी छोड़ा है। प्रार्थी की पत्नी श्रीमती राज रानी गुप्ता उर्फ श्रीमती राज रानी के विभिन्न बैंकों में सावधि जमा खाते (F.D.R.) एवं एक सेविंग बैंक खाता एवं एक चालू खाता जिनके विवरण निम्न प्रकार हैं :–

a- SCSS, ACCOUNT NUMBER-4277SCSS000033 Rs- 13,30,000/- Bank of Baroda, Indra Nagar, Dehradun

b- FDR, ACCOUNT NUMBER-350473 Rs- 5,25,910/- The Nainital Bank Ltd., Chakrata Road, Dehradun

c- FDR, ACCOUNT NUMBER-350227 Rs- 3,00,000/- The Nainital Bank Ltd., Chakrata Road, Dehradun

d- FDR, ACCOUNT NUMBER-350512 Rs- 3,00,000/- The Nainital Bank Ltd-, Chakrata Road, Dehradun

e- FDR, ACCOUNT NUMBER-35069 Rs- 7,62,625/- The Nainital Bank Ltd-, Chakrata Road, Dehradun

f- Saving, ACCOUNT NUMBER-1182000000000997 Rs- 6,30,278.16 Paise- The Nainital Bank Ltd-, Chakrata Road, Dehradun

g- Saving, ACCOUNT NUMBER 182000000000001 Rs- 29,530.25 Paise- The Nainital Bank Ltd-, Chakrata Road, Dehradun

h- TDR, ACCOUNT NUMBER-3107098404 Rs- 2,17,513/- Central Bank, Panditwari, Dehradun

i- Saving, ACCOUNT NUMBER- 2049151303 Rs- 2,95,256.59 Paise Central Bank, Panditwari, Dehradun.

प्रार्थी के कथनानुसार वह, मृतक द्वारा उपरोक्त धनराशि को बैंक से प्राप्त करने की हकदार है। प्रार्थी के उपरोक्त पुत्रों एवं पुत्री को श्रीमती राज रानी

गुप्ता द्वारा छोडी गयी सम्पत्तियों को प्रार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की याचना की गयी है।

3. विपक्षीगण की ओर से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अपनी अनापत्ति शपथपत्र प्रपत्र संख्या–30 बी पेश करते हुए प्रार्थी के अभिकथनों का समर्थन किया गया है।

4. उचित प्रकाशन के बावजूद भी प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के खण्डन में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र 4 सी 2, **सूची 6 सी** 1 से स्व0 राज रानी गुप्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति 7 सी 1, SCSS, ACCOUNT NUMBER-**4277SCSS000033** में जमा धनराशि की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या–8 सी 1/1 ता 8 सी 1/2, एफ0डी0आर0 संख्या–521499 की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या–9 सी 1, एफ0डी0आर0 संख्या–357886 की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या–10 सी 1, एफ0डी0आर0 संख्या–573845 की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या–11 सी 1, एफ0डी0आर0 संख्या–646940 की प्रति प्रपत्र संख्या–12 सी 1, एकाउन्ट संख्या–118200000000997 की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या–13सी 1/1 ता 13 सी 1/2, एकाउन्ट संख्या–1182000000000001 की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या–14 सी 1/1 ता 14 सी 1/3, टी0डी0आर0 संख्या–3107098404 की प्रति प्रपत्र संख्या–15 सी 1, एकाउन्ट संख्या–2049151303 की प्रति प्रपत्र संख्या–16 सी 1 एवं **सूची 23 सी 1** से उत्तरजीवी प्रमाणपत्र प्रपत्र संख्या–24 बी, रसीद मुनादी शुल्क प्रपत्र संख्या–25 बी, दैनिक समाचार पत्र दिनांकित 25.04.2023 प्रपत्र संख्या–26 बी, **सूची 31 सी 1** से SCSS, ACCOUNT NUMBER-**4277SCSS000033** में जमा धनराशि की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या–32 सी 1/1 ता 32 सी 1/2, मूल एफ0डी0आर0 संख्या–521499 प्रपत्र संख्या–32 बी , मूल एफ0डी0आर0 संख्या–357886 प्रपत्र संख्या–34 बी, मूल एफ0डी0आर0 संख्या–573845 प्रपत्र संख्या–35 बी, मूल एफ0डी0आर0 संख्या–646940 प्रपत्र संख्या–36 बी, एकाउन्ट संख्या–118200000000997 की मूल पासबुक प्रपत्र संख्या–37 बी, एकाउन्ट संख्या–1182000000000001 की मूल पासबुक प्रपत्र

संख्या–38 बी, मूल टी0डी0आर0 संख्या–3107098404 प्रपत्र संख्या–39 बी , एकाउन्ट संख्या–2049151303 की मूल पासबुक प्रपत्र संख्या–40 बी प्रस्तुत की गई है।

6. विपक्षीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

7. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

8. प्रार्थी के पक्ष में जहां तक उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्रश्न है, तो प्रार्थी ने अपने साक्ष्य शपथ–पत्र प्रपत्र संख्या–4 सी 2 में अभिकथन किया है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती राज रानी गुप्ता उर्फ श्रीमती राज रानी का दिनांक 17.02.2022 को, देहरादून में निधन हो गया था। प्रार्थी की पत्नी श्रीमती राज रानी गुप्ता ने अपनी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी एवं तीन पुत्र क्रमशः श्री मनोज कुमार गुप्ता, श्री पकंज कुमार गुप्ता व श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं विवाहिता पुत्री श्रीमती अल्का गुप्ता को अपना विधिक उत्तराधिकारी छोड़ा है। मृतका के नाम विभिन्न बैंक खातों में जमा धनराशि व एफ.डी. आर. में कुल धनराशि रु0 43,91,113/–रूपये जमा कराये गये थे, जिसे प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। उक्त कथन के समर्थन में प्रार्थी ने मृतका राजरानी गुप्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रपत्र संख्या–7 सी 1 प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार मृतका राजरानी गुत्ता की मृत्यु दिनांक 14.02.17.02.2022 को सिनर्जी हास्पिटल, बल्लुपुर रोड, देहरादून में होना साबित होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मृतका राजरानी गुप्ता की मृत्यु देहरादून की स्थानीय सीमा में हुयी है तथा **SCSS, ACCOUNT NUMBER-4277SCSS000033** में जमा धनराशि की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या–32 सी 1/1 ता 32 सी 1/2, मूल एफ0डी0आर0 संख्या–521499 प्रपत्र संख्या–32 बी , मूल एफ0डी0आर0 संख्या–357886 प्रपत्र संख्या–34 बी, मूल एफ0डी0आर0 संख्या–573845 प्रपत्र संख्या–35 बी, मूल एफ0डी0आर0 संख्या–646940 प्रपत्र संख्या–36 बी, एकाउन्ट संख्या–118200000000997 की मूल पासबुक प्रपत्र संख्या–37 बी, एकाउन्ट संख्या–1182000000000001 की मूल पासबुक प्रपत्र संख्या–38 बी, मूल टी0डी0आर0 संख्या–3107098404 प्रपत्र संख्या–39बी, एकाउन्ट

संख्या–2049151303 की मूल पासबुक प्रपत्र संख्या–40 बी के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त सम्पत्ति/प्रतिभूमि भी न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है।

9. उक्त धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु विपक्षीगण की ओर से प्रार्थी के अभिकथनों का समर्थन करते हुए अपना अनापत्ति शपथपत्र प्रपत्र संख्या–30 बी प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्रतिकूल कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

10. तद्नुसार प्रार्थी ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ श्री ओ0पी0 गुप्ता का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी श्री ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ श्री ओ0पी0 गुप्ता का प्रार्थना–पत्र प्रपत्र संख्या–3 बी अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925, स्वीकार किया जाता है।

वांछित न्यायशुल्क अदा किये जाने पर, प्रार्थी के पक्ष में, मृतका श्रीमती राज रानी गुप्ता उर्फ राज रानी द्वारा छोड़ी गई एफ0डी0आर0, टी0डी0आर0 एवं बैंक एकाउन्ट के रूप में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सूची मदों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाए। प्रार्थी इस आशय का बन्धपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत करें कि यदि उपर्युक्त धनराशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होता है तो प्रार्थी बिना शर्त प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सूची में वर्णित धनराशि न्यायालय में जमा करेगा।

दिनांकः 18.12.2023

(रिंकी साहनी)
सिविल जज (सी.डि.)
देहरादून

उपरोक्त निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 18.12.2023

(रिंकी साहनी)
सिविल जज (सी.डि.)
देहरादून